[2019] 11 एस. सी. आर 809

प्रहलाद राट

वी.

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान

(2019 की सिविल अपील संख्या 6640)

अगस्त 27,2019

[आर. भानुमति और इंदिरा बनर्जी, जे. जे.]

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985: एस. 21 सीमा-अपीलार्थी का निलंबन-गबन और गबन के आरोप में कार्यपालक-एफ. आई. आर. का पंजीकरण-उसके बाद, अपीलार्थी

सार्वजनिक स्थान पर चोरी करना और दूसरी एफ. आई. आर. दर्ज करना और यू/एस. के तहत दोषसिद्धि। 379 आई. पी. सी.-अपीलार्थी को उसकी दोषसिद्धि की तारीख से सेवा से हटाने का ज्ञापन जारी करना और उसके द्वारा प्राप्त निर्वाह भत्ते को वापस करने का निर्देश-अपीलार्थी और प्रतिवादी के बीच समझौते के कारण एक दशक के बाद, उच्च न्यायालय द्वारा पहली एफ. आई. आर. को रद्द कर दिया गया-अपीलार्थी द्वारा सेवानिवृत्ति लाभों की मांग करते हुए प्रतिनिधित्व-ज्ञापन की तारीख से 13 साल बाद, अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को चुनौती देते हुए

ज्ञापन-न्यायाधिकरण ने ज्ञापन को दरकिनार कर दिया और प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी की रिट याचिका को सभी लाभ प्रदान किए

उच्च न्यायालय द्वारा अनुमत-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः उप-धारा 21 की धारा (3) तब लागू होती है जब देरी का पर्याप्त कारण होता है।

सीमा अवधि से परे अपील दायर करने में-न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि आवेदन सीमा के भीतर दायर किया गया था, स्पष्ट रूप से गलत है और उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से स्वीकार नहीं किया गया था, क्रमिक अभ्यावेदन सीमा को नहीं बचाते हैं और न्यायाधिकरण तक पहुंचने में लगभग तेरह साल की देरी को उचित नहीं ठहराते हैं। 21 (1) (ख), जो अपील दायर करने की तारीख से छह महीने की समाप्ति की तारीख से चलना शुरू हो जाएगा या वैकल्पिक रूप से अपीलार्थी को दिखाना होगा

सीमा द्वारा निर्धारित अवधि से आगे आवेदन दायर करने में देरी के लिए पर्याप्त कारण-यह नहीं कहा जा सकता है कि पहली प्राथमिकी को रद्द करने से नए सिरे से कार्रवाई की गई-बर्खास्तगी के दंडात्मक आदेश के कारण पेंशन लाभों को जब्त करना कार्रवाई का निरंतर कारण नहीं है-पहली प्राथमिकी को इस आधार पर रद्द नहीं किया गया था कि उसने किसी अपराध का खुलासा नहीं किया था या किया गया था।

अन्यथा तुच्छ, परेशान करने वाला या परेशान करने वाला-यह भी नहीं कहा जा सकता है कि पूर्ण गरीबी ने अपीलार्थी को अपराध करने के लिए प्रेरित किया। 379 - अपीलार्थी के प्रति कोई भी सहानुभूति पूरी तरह से गलत होगी-इस प्रकार, उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा जाता है-केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965-आर। 19 (1) .

सीमाः उद्देश्य-आयोजितः सीमितता का कानून सार्वजनिक नीति पर आधारित है-सीमितता का उद्देश्य एक शांत स्थिति को बासी रखना है और

मृत विवाद-व्यक्ति को लंबे विलंब के बाद अपने दावे को आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए-जब सेवानिवृत्ति लाभ बिना किसी कारण के रोक दिए जाते हैं, तो कार्रवाई का एक निरंतर कारण होगा-हालांकि, जब

सेवानिवृत्ति लाभ अनुशासनात्मक कार्रवाई के माध्यम से रोके जाते हैं, आदेश को अनिवार्य रूप से सीमा की अवधि के भीतर चुनौती दी जानी चाहिए या वैकल्पिक रूप से देरी के लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1.1 उप-प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 21 की धारा (3) तब आकर्षित होती है जब

सीमा की अवधि से परे अपील दायर करने में देरी के लिए पर्याप्त कारण। न्यायाधिकरण का निष्कर्ष कि मूल आवेदन सीमा के भीतर दायर किया गया था, स्पष्ट रूप से गलत है और उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि क्रमिक प्रतिनिधित्व सीमा को नहीं बचाते हैं।

और निश्चित रूप से लगभग तेरह वर्षों की देरी को उचित नहीं ठहराता है।

न्यायाधिकरण के पास जाना। [पैरा 27,28] [821-ए, सी] 1.2 केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 19 (i) के तहत हटाने का अर्थ है -

सीमा अवधि के भीतर या वैकल्पिक रूप से न्यायाधिकरण अपीलार्थी को देरी का पर्याप्त कारण दिखाना होगा।

द्वारा निर्धारित अवधि से परे मूल आवेदन दाखिल करना सीमा। उपदान और भविष्य निधि के लिए अपीलार्थी की पात्रता का प्रश्न, यदि बिल्कुल भी हो, तो दिनांकित ज्ञापन द्वारा उसके हटाए जाने के बावजूद, न तो न्यायाधिकरण के समक्ष उठाया गया था और न ही उस पर विचार किया गया था। न ही उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया गया था। इस अपील के स्तर पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। [पैरा 32] [823-ई, एफ] प्रह्लाद राट बनाम।

1.3 उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर बहुत सही ध्यान दिया है कि पहली प्राथमिकी को एक समझौते के अनुसार रद्द कर दिया गया था

पक्षकारों के बीच जिनके संदर्भ में अपीलार्थी ने सहकारी समिति को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये की राशि और बैंकरों के चेक के माध्यम से 1 लाख रुपये की अन्य राशि का भुगतान किया। [पैरा 34,35] [824-सी]

1.4 सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियम, 1985 के नियम 19 (आई) के तहत दिनांक 6.1.2000 के बर्खास्तगी के आदेश को 2013 में लगभग 13 के बाद चुनौती दी गई थी।

वर्षों से। यह मानते हुए भी कि अपील पर कभी निर्णय नहीं लिया गया था, अधिनियम की धारा 20 (2) (बी) को देखते हुए, न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करने का कारण अपील दायर करने की तारीख से छह महीने की समाप्ति पर उत्पन्न हुआ होगा। न्यायाधिकरण को आवेदन सीमा अवधि के भीतर दायर करना होगा।

जैसा कि अधिनियम की धारा 21 (1) (बी) में निर्धारित किया गया है, जो अपील दायर करने की तारीख से छह महीने की समाप्ति की तारीख से शुरू होगा। अपीलार्थी का यह तर्क कि पहली एफ. आई. आर. को रद्द करने से नए सिरे से कार्रवाई का कारण बना, पूरी तरह से गलत है। उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि ओ. ए. सीमा की अवधि के भीतर था। [पैरा 37,39] [824-ई-एफ; 825-बी, एफ]

1.5 उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि सीमा का कानून सार्वजनिक नीति पर आधारित है। सीमा का उद्देश्य एक रखना है

बासी और मृत विवादों पर मौन। किसी व्यक्ति को लंबे विलंब के बाद अपने दावे को आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जब सेवानिवृत्ति लाभ बिना किसी कारण के रोके जाते हैं, तो कार्रवाई का एक निरंतर कारण होगा। हालांकि, जब सेवानिवृत्ति लाभों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के माध्यम से रोक दिया जाता है, तो आदेश को अनिवार्य रूप से सीमा की अवधि के भीतर चुनौती दी जानी चाहिए या वैकल्पिक रूप से देरी के लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए। एक बार समाप्ति के आदेश से नियोक्ता-कर्मचारी संबंध समाप्त हो जाने के बाद, समाप्ति का आदेश पारित होने पर कार्रवाई का कारण अनिवार्य रूप से उत्पन्न होगा। समाप्ति के दंडात्मक आदेश के कारण पेंशन लाभों को जब्त करना कार्रवाई का निरंतर कारण नहीं है। [पैरा 44] [827-ई-जी]

1.6 यह नहीं कहा जा सकता है कि यह न्यायालय सहानुभूति रखता है।

अपीलार्थी की दुर्दशा पर विचार करते हुए कि पहली एफ. आई. आर. [2019] 11 एस. सी. आर.

खारिज कर दिया गया था और दूसरी प्राथमिकी के अनुसार दोषसिद्धि के बाद अपीलार्थी को अच्छे आचरण के परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया था जिसके बाद उसके खिलाफ आगे कोई शिकायत नहीं थी। पहली एफ़. आई. आर. को अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच एक समझौते के अनुसार रद्द कर दिया गया था, जिसके तहत अपीलार्थी ने सहकारी समिति को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई की थी। एफ. आई. आर. को इस आधार पर रद्द नहीं किया गया था कि उसने किसी भी अपराध का खुलासा नहीं किया था या अन्यथा तुच्छ, परेशान करने वाला या परेशान करने वाला था। जबकि अनुशासन के विचार में निलंबन के तहत पहली एफ़. आई. आर. से संबंधित कदाचार के लिए कार्यवाही, अपीलार्थी ने सार्वजनिक स्थान पर पैसे वाले थैले की चोरी की

जिसे उन्हें आई. पी. सी. की धारा 379 के तहत दोषी ठहराया गया था। यह नहीं कहा जा सकता है कि पूर्ण निर्धनता ने उसे अपराध करने के लिए प्रेरित किया क्योंकि अपीलार्थी को निर्वाह भत्ता प्राप्त हो रहा था जबकि निलंबन। अपीलार्थी के लिए कोई भी सहानुभूति पूरी तरह से गलत होगी। इस प्रकार, उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश ऐसा करता है

किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान न करें। [पैरा 45,46,47] [827-एच; 828-ए-डी]

सरदार सिंह बनाम। भारत संघ (1991) एस. सी. सी. ऑनलाइन

भारत और अन्य बनाम। सी. जी. अजय बाबू और एक अन्य (2018) 9 एससीसी 529: [2018] 9 एससीआर 995; एस. एस. राठौर बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (1989) 4 एससीसी 582: [1989] 1

पूरक। एस. सी. आर. 43; मध्य प्रदेश राज्य बनाम सैयद कमराली (1967) 1 एस. एल. आर. 228; पंजाब राज्य और अन्य बनाम गुरदेव सिंह (1991) 4 एस. सी. सी. 1: [1991] 3 एससीआर 663

- संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2008] 12 एससीआर 104

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

[2018] 9 एससीआर 995

संदर्भित किया गया है

पै

रा 29

[1989] 1 पूरक। एससीआर 43

पै

रा 33

संदर्भित किया गया है

(1967) 1 एसएलआर 228

संदर्भित किया गया है

पै

रा 38

[1991] 3 एससीआर 663

संदर्भित किया गया है

पैरा 40 प्रह्लाद राट v. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 6640

2016 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 5977 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 24.07.2017 के निर्णय और आदेश से सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , पुनीत सिंह बिंद्रा, सुश्री सिमरान जीत, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

दुष्यंत पाराशर, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. अपील एक फैसले और दिनांकित 24.07.2017 के आदेश के खिलाफ है।

दिल्ली उच्च न्यायालय, प्रत्यर्थी द्वारा दायर 2016 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 5977 को अनुमति देते हुए, और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ द्वारा पारित दिनांक 29.02.2016 के आदेश को रद्द करते हुए

नई दिल्ली, जिसके द्वारा विद्वान न्यायाधिकरण ने मूल आवेदन (ओ. ए.) की अनुमति दी थी। 2013 का No.3381 अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया जिसमें 6.1.2000 दिनांकित एक आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें अपीलार्थी को प्रत्यर्थी की सेवा से हटा दिया गया है।

3. अपीलार्थी को प्रतिवादी द्वारा वाहक के रूप में नियुक्त किया गया था।

09.02.1972 और 15.10.1987 पर कारभारी के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्हें एम्स कोऑपरेटिव, थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी के रूप में जानी जाने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी के कार्यकारी सदस्य के रूप में चुना गया था, जिसे इसके बाद प्रतिवादी द्वारा संचालित "कोऑपरेटिव सोसाइटी" के रूप में संदर्भित किया गया था, और वे इसके कार्यकारी सदस्य बन गए।

खजांची।

4. 5.3.1991 पर या उसके आसपास, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट को एफ़. आई. आर. माना जाता है

भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 406/420/468/471/477 ए/120 बी के तहत 1991 की No.91 दर्ज की गई थी, जिसे इसके बाद पहली एफ. आई. आर. के रूप में संदर्भित किया गया था।

नई दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में अपीलार्थी के खिलाफ, कथित रूप से सहकारी समिति के सदस्यों के जाली हस्ताक्षर करके उसे 5 लाख रुपये का नुकसान पहुँचाने के लिए।

5. अपीलार्थी को 05.06.1991 पर गिरफ्तार किया गया था और 12.06.1991 तक हिरासत में था। 48 घंटे से अधिक समय तक अपनी नजरबंदी के कारण, अपीलार्थी को केंद्रीय सिविल सेवा [2019] 11 एस. सी. आर. के नियम 10 (2) के संदर्भ में मानित निलंबन के तहत रखा गया था।

(वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965, जिसे इसके बाद "सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियम" के रूप में संदर्भित किया गया था और उसे निर्वाह भत्ता दिया गया था।

6. जबकि अपीलार्थी निलंबन में था, एक और एफ़. आई. आर. No.868

आई. पी. सी. की धारा 356/379/411 के तहत, जिसे इसके बाद दूसरी एफ. आई. आर. के रूप में संदर्भित किया गया है, अपीलार्थी के खिलाफ नई दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जिसमें कथित तौर पर एक बैग छीनने के लिए दर्ज किया गया था।

चिम्मा के बेटे जय राम से आई. डी. 1/- की नकद राशि और लॉटरी के दो टिकट

राम। दूसरी एफ. आई. आर. के अनुसरण में आपराधिक कार्यवाही शुरू हुई। 15.9.1993 दिनांकित एक निर्णय और आदेश द्वारा, अपीलार्थी को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिल्ली द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत दोषी ठहराया गया था।

दंड संहिता।

7. मान लीजिए, अपीलार्थी के खिलाफ दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई थी

जबकि वह निलंबन में था। प्रत्यर्थी की ओर से, यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी को लगभग 7 वर्षों से आई. पी. सी. की धारा 379 के तहत अपीलार्थी को दोषी ठहराए जाने की दूसरी एफ़. आई. आर. या एफ़. आई. डी. 1 के फैसले और आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

8. 16.09.1993 पर, प्रतिवादी को एक वर्ष की अवधि के लिए अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया था, एक प्रस्तुत करने की शर्त पर

इसके लिए, लगभग 7 वर्षों के बाद, जिसके बाद प्रतिवादी को सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों के नियम 19 (आई) के तहत जारी एक ज्ञापन द्वारा सेवा से हटा दिया गया था। उक्त ज्ञापन निकाला गया है नीचे दिया गया है:

" जबकि श्री प्रह्लाद राउत, कारभारी (निलंबन के तहत)

5.6.1991 गबन और दुरुपयोग के आरोप में

धारा 406/420/के तहत एफ. आई. आर. No.91 दिनांक 3.3.1991 का दृश्य 468 / 471 / 477 - ए और 120-बी आईपीसी

और जबकि श्री प्रह्लाद राउत बाद में एक के लिए प्रभारी थे

सार्वजनिक स्थान पर एक थैले की चोरी का अपराध, वह था

श्री डी. के. सैनी, महानगर की अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली आई. पी. सी. की धारा 356/379/411 के तहत

निर्णय दिनांकित 16.9.1993।

प्रहलाद राउत बनाम। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज [इंदिरा बनर्जी, जे.]

जबकि यह माना जाता है कि उक्त श्री प्रहलाद राउत का आचरण जो उनकी दोषसिद्धि पर कायम रहा, वह इस प्रकार है -

संस्थान की सेवा में उन्हें आगे बनाए रखना।

अवांछनीय।

और जबकि श्री प्रह्लाद राउत को एक मौका दिया गया था

अपनी लिखित व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए।

और जबकि उक्त श्री प्रह्लाद राउत ने एक लिखित बयान दिया है

स्पष्टीकरण जिस पर विधिवत विचार किया गया है हस्ताक्षर किए हुए।

अब, इसलिए, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

सी. सी. एस. का नियम 19 (1)। (सीसीए) नियम 1965 अधोहस्ताक्षरित उक्त श्री प्रह्लाद राउत को दोषी ठहराए जाने की तारीख से संस्थान की सेवा से हटा देता है।

इसलिए श्री प्रहलाद राउत को जमा करने का निर्देश दिया जाता है

उसके द्वारा A.I.I.M.S से प्राप्त निर्वाह भत्ता।

16.9.1993 "से परे।

10. नियम के तहत जारी किए गए उक्त ज्ञापन दिनांक 6.01.2000 द्वारा

सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों के अनुसार, प्रतिवादी ने दूसरी एफ. आई. आर. के अनुसार दोषसिद्धि की तारीख होने के कारण 16.9.1993 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ अपीलकर्ता सेवा को हटा दिया और उसे धनवापसी करने का निर्देश दिया।उसके द्वारा 16.9.1993 के बाद से प्राप्त निर्वाह भत्ता।

11. सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों का नियम 19 नीचे दिया गया है -

अनुभवः

" 19. कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया

नियम 14 से नियम 18 में कुछ भी निहित होने के बावजूद

((i) जहाँ किसी सरकारी कर्मचारी पर कोई जुर्माना लगाया जाता है। आचरण के आधार पर जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है, या

((ii) जहां अनुशासनिक प्राधिकरण को उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट किया जाता है कि वह उचित नहीं है।

में दिए गए तरीके से जांच करना व्यवहार्य है

((ग) जहां राष्ट्रपति का यह समाधान हो कि राज्य की सुरक्षा के हित में इन नियमों में दिए गए तरीके से कोई जांच करना समीचीन नहीं है।

अनुशासनात्मक प्राधिकरण मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकता है और उस पर ऐसे आदेश दे सकता है जो वह उचित समझेः
[बशर्ते कि सरकारी कर्मचारी को जुर्माने पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जा सकता है

में कोई आदेश दिए जाने से पहले लागू करने का प्रस्ताव

खंड (i) के तहत मामलाः

बशर्ते कि इस नियम के तहत किसी भी मामले में कोई आदेश दिए जाने से पहले आयोग से परामर्श किया जाएगा, जहां इस तरह का परामर्श आवश्यक है, [और सरकारी कर्मचारी को आयोग की सलाह का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया गया है]। "

12. दिनांकित 6.1.2000 ज्ञापन सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों के नियम 19 (आई) के तहत जुर्माना लगाने के लिए आवश्यकताओं के अनुपालन का संकेत देता है। यह रिकॉर्ड की बात है कि अपीलार्थी को सार्वजनिक स्थान पर चोरी करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया था। उक्त ज्ञापन से पता चलता है कि अपीलार्थी के सार्वजनिक स्थान पर चोरी करने के आचरण, जबकि गबन और गबन के गंभीर आरोप में निलंबन के तहत, जिसके लिए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत दोषी ठहराया गया था, पर विधिवत विचार किया गया था। इस तरह के विचार पर संबंधित प्राधिकारी ने अपीलार्थी को प्रत्यर्थी की सेवा में बनाए रखना अवांछनीय पाया।

13. अपीलार्थी को स्पष्ट रूप से सुनवाई का अवसर दिया गया है। 6.1.2000 दिनांकित ज्ञापन में दर्ज है कि अपीलार्थी

एक लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था जिस पर अपीलार्थी को उसकी दोषसिद्धि की तारीख से प्रतिवादी की सेवा से हटाने से पहले विधिवत विचार किया गया था।

14. अपीलार्थी के अनुसार, उक्त निर्णय से व्यथित, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के अध्यक्ष से अपील की, जिस पर वहाँ

कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। प्रत्यर्थी का दावा है कि अपील को उसी वर्ष यानी 2000 में खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, अस्वीकृति का कोई आदेश पता नहीं चलता है। 15. अपीलार्थी को सेवा से हटाए जाने के एक दशक से अधिक समय बाद, उसने प्रत्यर्थी के साथ एक समझौता किया, जिसके संदर्भ में वह

प्रतिवादी को उसके कारण हुए नुकसान की भरपाई सहकारी प्रहलाद राट v को की गई।

समाज। समझौते के परिणामस्वरूप, पहली एफ़. आई. आर. यानी एफ़. आई. आर. 1991 के 91 नंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2.11.2012 पर रद्द कर दिया था। इसके बाद, अपीलार्थी ने प्रतिवादी से ब्याज के साथ पेंशन, ग्रेच्युटी और भविष्य निधि की मांग करते हुए एक अभ्यावेदन दिया। यह विवाद का विषय नहीं है।

16. अपीलार्थी ने यह भी आरोप लगाया है कि उसने प्रतिवादी से दिनांकित ज्ञापन को वापस लेने और/या रद्द करने का अनुरोध किया था

6.1.2000 , जिसका कोई जवाब नहीं आया।

17. 24.7.2013 पर या उसके आसपास, यानी, दिनांकित 6.1.2000 ज्ञापन जारी होने के तेरह साल बाद, अपीलार्थी को हटा दिया जाता है।

प्रत्यर्थी की सेवा से, उसकी दोषसिद्धि की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ, अपीलार्थी ने दिनांकित ज्ञापन 6.1.2000 को चुनौती देते हुए विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष 2013 का मूल आवेदन No.3381 दायर किया। 18. प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 21, जिसमें आवेदन दायर करने के लिए सीमा की अवधि निर्धारित की गई है

प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रदान करता है:

" 21. सीमा।

(1) एक न्यायाधिकरण एक आवेदन स्वीकार नहीं करेगा,

(क) ऐसे मामले में जहां अंतिम आदेश का उल्लेख किया गया है।

धारा 20 की उप-धारा (2) का खंड (ए) शिकायत के संबंध में तब तक किया गया है जब तक कि आवेदन उस तारीख से एक साल के भीतर नहीं किया जाता है जिस दिन ऐसा अंतिम आदेश दिया गया है।

(ख) ऐसे मामले में जहां धारा 20 की उप-धारा (2) के खंड (ख) में उल्लिखित अपील या अभ्यावेदन किया गया है और उसके बाद छह महीने की अवधि ऐसी अंतिम आदेश दिए बिना समाप्त हो गई थी, छह महीने की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,

((क) वह शिकायत जिसके संबंध में आवेदन किया जाता है। तारीख से तुरंत पहले तीन साल की अवधि के दौरान किसी भी समय किए गए किसी भी आदेश के कारण उत्पन्न हुआ था

मामले के संबंध में इस अधिनियम के तहत प्रयोग करने योग्य हो जाता है जो ऐसा आदेश संबंधित है; और

(ख) ऐसी शिकायत के निवारण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

उक्त तिथि से छह महीने, जो भी अवधि समाप्त हो बाद में।

(3) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी या

उप-धारा (2) के खंड (ए) या खंड (बी) में निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि के बाद आवेदन स्वीकार किया जा सकता है।

उप-धारा (1) या, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट छह महीने की अवधि, यदि आवेदक संतुष्ट करता है

न्यायाधिकरण ने कहा कि उनके पास ऐसा न करने का पर्याप्त कारण था

ऐसी अवधि के भीतर आवेदन '।

19. अपीलार्थी की दलीलें, उसके आवेदन में

सीमा के संबंध में नल, यहाँ नीचे निकाले गए हैंः

" 3 सीमा

आवेदन ए. टी. अधिनियम, 1985 की धारा 21 में निर्धारित सीमा अवधि के भीतर है। इसके अलावा, आवेदक

सेवा से हटाने के अवैध आदेश को चुनौती देता है

पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ-साथ उसकी पेंशन/जी. पी. एफ. को रोक दिया जाता है। और इस प्रकार गलतियाँ जारी हैं।

20. 2013 के ओ. ए. No.3381 के साथ-साथ अपीलार्थी ने देरी की माफी की मांग करते हुए एक शपथ पत्र दायर किया था जिसमें कहा गया था कि देरी की माफी के लिए प्रशस्तिपत्र प्रचुर मात्रा में दायर किया गया था।

प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं पर और उनका पालन करने के लिए।

21. देरी को माफ करने के लिए आवेदन में, यह तर्क दिया गया था कि i) पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ हटाने का आदेश अमान्य होने के कारण, सीमा का कानून लागू नहीं होगा; (ii) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांकित 2.11.2012 के आदेश द्वारा पहली प्राथमिकी का संपादन किया था और इस आदेश ने कार्रवाई का एक नया कारण दिया था; (iii) प्रतिवादी ने अपीलीय प्राधिकरण को एक अपील 21.01.2013 दायर की थी, जिसमें आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी।

मोवल, जिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी; (iv) अपीलार्थी के पास कार्रवाई का कारण था क्योंकि पेंशन/भविष्य निधि राशि को अवैध रूप से रोक दिया गया था; (v) अपीलार्थी 67 वर्ष की आयु से सेवानिवृत्त हो गया था।

सीई, और गरीबी की स्थिति में था।

22. 29.2.2016 दिनांकित एक आदेश द्वारा, विद्वान न्यायाधिकरण ने 6.1.2000 दिनांकित ज्ञापन को दरकिनार कर दिया और सभी लाभों को प्रदान कर दिया

लांट। विद्वान न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित कियाः

" 11. इस मामले पर विचार करने के बाद, हमारा दृढ़ विचार है कि ओ. ए. को सीमित अवधि के भीतर दायर किया गया था। यह नहीं है।

विवाद का विषय जो दंड देने वाले प्राधिकारी के पास है

पूर्वव्यापी रूप से आवेदक को सेवा से हटा दिया गया

16.09.1993 से, कि एक में उसकी दोषसिद्धि की तारीख होने के नाते

दिनांक 06.01.2000 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से आपराधिक मामला। इस तरह के आदेश अवैध हैं, शुरू से ही अमान्य हैं और इन्हें किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रसिद्ध निर्णय में मध्य प्रदेश राज्य बनाम सैयद कमराली के मामले में

1967 (1) एस. एल. आर. 228, जिसका बाद में कई क्षेत्रों में अनुसरण किया गया।

निर्णय, आधिकारिक रूप से फैसला सुनाया है कि बर्खास्तगी का आदेश

के अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन किया गया है

नियम, बर्खास्तगी के ऐसे आदेश का, इसलिए, कोई कानूनी अस्तित्व नहीं था और प्रत्यर्थियों के लिए अदालत द्वारा आदेश को दरकिनार करना आवश्यक नहीं था। इसलिए, सीमा का बचाव जो केवल इस तर्क पर आधारित था कि आदेश को अमान्य होने से पहले अदालत द्वारा दरकिनार कर दिया जाना चाहिए, उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। 12. इतना ही नहीं, आवेदक ने दावा किया कि उसने 23.02.2000 (अनुलग्नक ए-5 कोली) पर अपीलीय प्राधिकरण को अपील दायर की है जो राष्ट्रपति कार्यालय, एम्स को 25.02.2000 पर प्राप्त हुई थी। इसके बाद, उन्होंने एक

प्रतिनिधित्व दिनांक 21.01.2013 (अनुलग्नक ए-6 कोली)

अनदेखा करके सभी परिणामी लाभों का दावा करना

विवादित हटाने का आदेश।

13. प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं के पास न तो विशेष रूप से है

न तो इनकार किया गया और न ही कोई ठोस रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया, यहां तक कि यह इंगित करने के लिए कि आवेदक ने कोई अपील दायर नहीं की है (अनुलग्नक ए-5 कोली) /

प्रतिनिधित्व (अनुलग्नक ए-6 कोली) या वही तय किए गए थे

अपीलीय प्राधिकरण द्वारा। इसके अलावा, आवेदक ने 11 एस. सी. आर. की राशि के साथ सभी परिणामी लाभों का दावा किया।

ब्याज के साथ पेंशन और अन्य परिलब्धियां, जो हमारे विचार में, बार-बार और निरंतर कार्रवाई का कारण हैं।

14. इस प्रकार, किसी भी दृष्टिकोण से, यह संभवतः नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक द्वारा दायर ओ. ए. को सीमा द्वारा वर्जित किया गया है, जैसा कि उत्तरदाताओं की ओर से इसके विपरीत आग्रह किया गया है। अतः यह माना जाता है कि

आवेदक द्वारा दायर मुख्य ओ. ए. सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर है और सैयद कमराली (उपरोक्त) में निर्धारित कानून का सार वर्तमान मामले में पूरी तरह से लागू होता है।

15. एक बार यह माना जाता है कि मुख्य ओ. ए. के भीतर दायर किया गया है

सीमा की अवधि, तब आवेदक के लिए विद्वान वकील

इस बात पर जोर देते हुए कि कानून/नियमों का कोई प्रावधान नहीं है कि आवेदक को पूर्वव्यापी रूप से उसकी सजा की तारीख 16.09.1993 से उसकी सेवा से हटाया जा सकता है, वह भी केवल दिनांकित विवादित आदेश द्वारा एक आपराधिक मामले में उसकी सजा के आधार पर।

06.01.2000 सक्षम प्राधिकारी द्वारा।

23. विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 29.2.2016 के आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने 2016 की रिट याचिका संख्या 5977 दायर की, जिसमें कहा गया है -

24. हमने अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा और प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री दुष्यंत पाराशर को सुना है और अभिलेख पर दस्तावेजों का अध्ययन किया है।
25. सुश्री अरोड़ा ने प्रस्तुत किया कि विद्वत न्यायाधिकरण ने हटाने के आदेश को इस आधार पर दरकिनार कर दिया था कि इसे 16.9.1993 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ पारित नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, एक आपराधिक मामले में केवल दोषसिद्धि, जैसा कि विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, नियम 19 के तहत एक आदेश को उचित नहीं ठहरा सकता है, जो अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा संतुष्टि को अभिनिर्धारित करता है, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, कि कर्मचारी का आचरण, जिसके कारण उसे आपराधिक मुकदमे में दोषी ठहराया गया था, ऐसा था कि सजा दी जानी चाहिए।

26. सुश्री अरोड़ा ने तर्क दिया कि अपीलार्थी ने सीमित सीमा के भीतर विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन दायर किया था, जो यह भी है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 21 की उप-धारा (3) में अबाधित खंड द्वारा समर्थित।

प्रहलाद राउत बनाम। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज [इंदिरा बनर्जी, जे.]

27. धारा 21 की उप-धारा (3) का इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई अनुप्रयोग नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी ने तर्क दिया और

विद्वत न्यायाधिकरण ने स्वीकार किया कि मूल आवेदन सीमा के भीतर दायर किया गया था। अपीलार्थी का यह मामला नहीं था कि मूल आवेदन दाखिल करने में सीमा की अवधि से परे लगभग तेरह साल की देरी का पर्याप्त कारण था। न ही न्यायाधिकरण किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदन दायर करने में लगभग तेरह साल की देरी के लिए अच्छा और पर्याप्त कारण था।

28. धारा 21 की उप-धारा (3) को तब आकर्षित किया जाता है जब अपील दायर करने में देरी के लिए पर्याप्त कारण होता है।

सीमा। विद्वत न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि मूल आवेदन सीमा के भीतर दायर किया गया था, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा तर्क दिया गया है, स्पष्ट रूप से है गलत है और उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि लगातार अभ्यावेदन सीमा को नहीं बचाते हैं और निश्चित रूप से न्यायाधिकरण तक पहुंचने में लगभग तेरह साल की देरी को उचित नहीं ठहराते हैं। सरदार सिंह बनाम में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय। 'भारत संघ' को मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में प्रस्तुत किया गया था, जहां विकलांगता पेंशन के भुगतान के लिए एक सैनिक के दावे को केवल इस आधार पर अस्वीकार किया जा रहा था कि विकलांगता सैन्य सेवा के कारण या उससे बढ़ी नहीं थी।

29. सुश्री अरोड़ा ने अपने इस तर्क के समर्थन में कहा कि विद्वत न्यायाधिकरण मूल आवेदन का मनोरंजन करने और उसे अनुमति देने में सही था

भारत संघ और अन्य बनाम। तारसेम सिंह 'जहाँ इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 7. संक्षेप में, आम तौर पर, विलंबित सेवा से संबंधित दावे को देरी और विलंब (जहां रिट याचिका दायर करके उपचार मांगा जाता है) या सीमा (जहां प्रशासनिक को आवेदन द्वारा उपचार मांगा जाता है) के आधार पर खारिज कर दिया जाएगा।

न्यायाधिकरण)। उक्त नियम के अपवादों में से एक निरंतर गलत से संबंधित मामले हैं। जहां सेवा संबंधी दावा निरंतर गलती पर आधारित है, राहत तब भी दी जा सकती है जब उपचार की मांग में लंबी देरी हो, उस तारीख के संदर्भ में जिस दिन निरंतर गलती शुरू हुई, यदि ऐसा है।

निरंतर गलत होने से चोट का एक निरंतर स्रोत बनता है। लेकिन अपवाद के लिए एक अपवाद है। यदि शिकायत किसी आदेश या प्रशासनिक निर्णय के संबंध में है जो संबंधित है।

कई अन्य लोगों को भी या प्रभावित किया, और यदि फिर से खोला जाता है

यह मुद्दा तीसरे पक्ष के तय किए गए अधिकारों को प्रभावित करेगा, फिर दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि मुद्दा संबंधित है

वेतन या पेंशन के भुगतान या पुनर्निर्धारण के लिए, राहत हो सकती है

विलंब के बावजूद प्रदान किया जाता है क्योंकि यह अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है

तीसरे पक्ष। लेकिन अगर दावे में संबंधित मुद्दे शामिल हैं

वरिष्ठता या पदोन्नति, आदि, दूसरों को प्रभावित करते हुए, देरी से दावा बासी हो जाएगा और लाचेस/सीमा का सिद्धांत लागू किया जाएगा।

" 3

30. इस न्यायालय द्वारा तारसेम सिंह (ऊपर) में निर्धारित कानून का प्रस्ताव असाधारण है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जहाँ एक है

सेवा संबंधी दावे के संबंध में गलत जारी रहने पर, देरी के बावजूद राहत दी जा सकती है, बशर्ते राहत देने से सुलझे हुए मामलों में गड़बड़ी न हो और यह तीसरे पक्ष को प्रभावित न करे। फैसला था,

हालाँकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में विवेकाधीन राहत के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। जहां कार्रवाई का कारण निरंतर नहीं है, उच्च न्यायालय देरी, विशेष रूप से बकाया के आधार पर मौद्रिक दावे को अस्वीकार कर देते हैं। इस संदर्भ में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ (7) और पैराग्राफ (8) के समापन भाग का उल्लेख करना उचित होगा जो यहाँ नीचे निकाला गया है:

" 7. संक्षेप में, आम तौर पर, विलंबित सेवा से संबंधित दावे को देरी और विलंब (जहां रिट याचिका दायर करके उपचार मांगा जाता है) या सीमा (जहां प्रशासनिक न्यायाधिकरण में आवेदन द्वारा उपचार मांगा जाता है) के आधार पर खारिज कर दिया जाएगा। उक्त नियम के अपवादों में से एक निरंतर गलत से संबंधित मामले हैं। जहाँ सेवा संबंधी दावा निरंतरता पर आधारित है।

गलत, राहत तब भी दी जा सकती है जब उपचार की मांग में लंबी देरी हो, उस तारीख के संदर्भ में जिस दिन निरंतर गलत शुरू हुआ, अगर इस तरह की निरंतर गलत एक निरंतर स्रोत बनाती है चोट से। लेकिन अपवाद के लिए एक अपवाद है। यदि शिकायत किसी आदेश या प्रशासनिक निर्णय के संबंध में है जो संबंधित है।

कई अन्य लोगों को भी प्रभावित किया या प्रभावित किया, और यदि मुद्दे को फिर से खोलने से तीसरे पक्ष के तय किए गए अधिकार प्रभावित होंगे, तो दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि मुद्दा भुगतान से संबंधित है या वेतन या पेंशन का पुनर्निर्धारण, देरी के बावजूद राहत दी जा सकती है क्योंकि यह तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है। लेकिन अगर दावे में वरिष्ठता या पदोन्नति आदि से संबंधित मुद्दे शामिल

हैं, जो दूसरों को प्रभावित करते हैं, तो देरी दावे को पुराना बना देगी और सिद्धांत PRAHALAD ROUT v.

लैच/सीमा लागू की जाएगी। जहां तक पिछली अवधि के लिए बकाया की वसूली के परिणामी राहत का संबंध है, तो बार-बार होने वाली/लगातार होने वाली गलतियों से संबंधित सिद्धांत लागू होंगे। नतीजतन, उच्च न्यायालय परिणामी राहत को प्रतिबंधित कर देंगे। आम तौर पर तीन साल की अवधि से पहले की बकाया राशि से संबंधित

रिट याचिका दाखिल करने की तिथि।

8. इस मामले में, सोलह साल की देरी बकाया के लिए परिणामी दावे को प्रभावित करेगी। उच्च न्यायालय सोलह वर्षों से संबंधित बकाया के भुगतान का निर्देश देने में उचित नहीं था, और वह भी ब्याज के साथ। इसे बकाया से संबंधित राहत को रिट याचिका की तारीख से केवल तीन साल पहले या मांग की तारीख से रिट याचिका की तारीख तक, जो भी कम हो, तक सीमित करना चाहिए था। इसमें बकाया पर ब्याज नहीं दिया जाना चाहिए था। परिस्थितियाँ "।

31. सुश्री अरोड़ा ने तर्क दिया कि अपीलार्थी को पेंशन, उपदान और सामान्य भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया गया था, भले ही अपीलार्थी ने

1972 से 1993 तक 20 से अधिक वर्षों की सेवा पूरी की। अन्यथा, अपीलार्थी ने वास्तव में 28 वर्ष की सेवा पूरी की थी। सुश्री अरोड़ा ने 6.1.2000 दिनांकित ज्ञापन में अपीलार्थी को 16.9.1993 से प्रभावी निर्वाह भत्ता वापस करने के निर्देश पर भी हमला किया। 32. सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियम, 1965 के नियम 19 (आई) के तहत हटाने से पेंशन जैसे सेवानिवृत्ति लाभों को जब्त कर लिया जाता है।

सीमा द्वारा निर्धारित अवधि से परे आवेदन। उपदान और भविष्य निधि के लिए अपीलार्थी की पात्रता का सवाल, यदि बिल्कुल भी हो, तो दिनांकित ज्ञापन द्वारा उसके हटाए जाने के बावजूद, न तो विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा उठाया गया था और न ही उस पर विचार किया गया था। न ही उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया गया था। इस अपील के स्तर पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। 33. पूर्वव्यापी निर्वहन और हटाने का सवाल तेरह साल के अंतराल के बाद नहीं उठाया जा सकता है। क्या इस का निर्णय

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम सी. जी. अजय बाबू और सुश्री अरोड़ा द्वारा उद्धृत अन्य 3 में अदालत के पास कोई आवेदन नहीं है, इस अपील के स्तर पर जांच नहीं की जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

34. जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया है, 5.03.1991 पर, अपीलार्थी के खिलाफ प्राथमिकी No.91 (पहली प्राथमिकी) दर्ज की गई थी, जिसने

सहकारी समिति के कार्यकारी सदस्य चुने गए। वह एफ़. आई. आर., जैसा कि ऊपर देखा गया है, आई. पी. सी. की धारा 406/420/468/471/477 ए/120 बी के तहत थी, जिसमें खजांची के रूप में 5 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान किया गया था।

सोसायटी के सदस्यों के जाली हस्ताक्षर करके उसे लाखों रुपये दिए जाते हैं। 35. अपीलार्थी को 5.06.1991 पर गिरफ्तार किया गया था और 12.06.1991 तक हिरासत में रहा था। 7.08.1991 दिनांकित एक आदेश द्वारा अपीलार्थी था

उनकी गिरफ्तारी की तारीख से मानित निलंबन के तहत रखा गया है, यानी 5.06.1991 और निर्वाह भत्ता का भुगतान किया गया है। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर बहुत सही ध्यान दिया है कि पहली प्राथमिकी को एक के अनुसार रद्द कर दिया गया था

पक्षकारों के बीच समझौता जिसके संदर्भ में अपीलार्थी ने 2 लाख रुपये की राशि और रुपये की अन्य राशि का भुगतान किया।

36. अपील के तहत निर्णय और आदेश में दर्ज है कि अपीलार्थी द्वारा राष्ट्रपति, एम्स में दायर अपील को 2000 में खारिज कर दिया गया था। हालांकि, अस्वीकृति आदेश की एक प्रति उपलब्ध नहीं है और इसे रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था।

37. जो भी हो, सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियम, 1985 के नियम 19 (आई) के तहत 6.1.2000 दिनांकित बर्खास्तगी के आदेश को लगभग 13 वर्षों के बाद 2013 में चुनौती दी गई थी। यह मानते हुए भी कि अपील पर कभी निर्णय नहीं लिया गया था, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 20 (2) (बी) को देखते हुए न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करने का कारण अपील दायर करने की तारीख से छह महीने की समाप्ति पर उत्पन्न हुआ होगा।

" 20. आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि अन्य

उपचार समाप्तः

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति को शिकायतों के निवारण के रूप में प्रासंगिक सेवा नियमों के तहत उसके लिए उपलब्ध सभी उपायों का लाभ उठाया हुआ माना जाएगा।

(ए)।

((ख) जहाँ सरकार या अन्य प्राधिकारी या अधिकारी या पारित करने के लिए सक्षम अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अंतिम आदेश नहीं दिया गया है।

ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई अपील या अभ्यावेदन के संबंध में ऐसा आदेश, यदि प्रहलाद राट v की तारीख से छह महीने की अवधि है।

जिसे इस तरह की अपील को प्राथमिकता दी गई थी या प्रतिनिधित्व किया गया था, वह समाप्त हो गया है।

न्यायाधिकरण को आवेदन प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 21 (1) (बी) में निर्धारित सीमा अवधि के भीतर दायर करना होगा, जो छह की समाप्ति की तारीख से चलना शुरू हो जाएगा। अपील दायर करने की तारीख से महीनों। अपीलार्थी का यह तर्क कि पहली एफ. आई. आर. को रद्द करने से नए सिरे से कार्रवाई का कारण बना, पूरी तरह से गलत है।

38. एस. एस. राठौर बनाम मध्य प्रदेश राज्य 4 में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने निर्णय दियाः

विशेष सीमा को ध्यान में रखते हुए आह्वान योग्य। फिर भी, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के दायरे से बाहर के मुकदमे अनुच्छेद 58 द्वारा शासित होते रहेंगे। 22. यह उचित है कि ऐसे मामलों में स्थिति समान होनी चाहिए।

इसलिए, ऐसे प्रत्येक मामले में केवल तभी जब अपील या

कानून द्वारा प्रदान किए गए अभ्यावेदन का निपटारा कर दिया जाता है, कार्रवाई का कारण पहले प्राप्त होगा और जहां ऐसा आदेश नहीं दिया जाता है, समाप्ति पर

अपील दायर किए जाने की तारीख से छह महीने की अवधि या

प्रतिनिधित्व किया गया था, मुकदमा करने का अधिकार पहले प्राप्त होगा। इस मामले में प्रतिष्ठान के प्रमुख को केवल एक स्मारक या प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने पर विचार नहीं किया जाएगा।

सीमा तय करने का "।

39. हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि ओ. ए. सीमा की अवधि के भीतर था।

40. विद्वत न्यायाधिकरण ने राय दी कि ओ. ए. को मध्य प्रदेश राज्य बनाम मध्य प्रदेश में इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा करते हुए, सीमा के भीतर दायर किया गया था। सैयद कमराली 'और अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी को हटाने के आदेश जैसे आदेश जो शुरू से ही अवैध या अमान्य थे, को चुनौती दी जा सकती है।

4 (1989) 4 एस. सी. सी 582 5 (1967) 1 एस. एल. आर. 228 [2019] 11 एस. सी. आर.

किसी भी समय। चूंकि इस तरह के आदेशों का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं था, इसलिए प्रतिवादी के लिए अदालत द्वारा आदेश को दरकिनार करना आवश्यक नहीं था। विद्वान न्यायाधिकरण ने सैयद कमराली (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का गलत अर्थ निकाला है।

41. उच्च न्यायालय ने सही पाया कि, सैयद कमराली (ऊपर) में

समाप्ति के आदेश को चुनौती देने वाला मुकदमा, जिसे अमान्य माना गया था, छह साल की सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर दायर किया गया था

सीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 120 के तहत जो अवशिष्ट था

सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 113 के तहत इसे घटाकर तीन साल कर दिया गया है। 42. दूसरी ओर, पंजाब राज्य और अन्य बनाम बलदेव सिंह में उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित और उन पर भरोसा किया गया, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 8. लेकिन फिर भी विवादित बर्खास्तगी आदेश का कम से कम एक वास्तविक संचालन तब तक होता है जब तक कि इसे किसी सक्षम निकाय या अदालत द्वारा अमान्य या अमान्य घोषित नहीं किया जाता है। स्मिथ वी. ईस्ट एलो

ग्रामीण जिला परिषद [1956 ए. सी. 736,769: (1956) 1 सभी ईआर

855 , 871] लॉर्ड रैडक्लिफ ने कहाः (सभी ई. आर. पी. 871) " एक आदेश, भले ही सद्भावना से नहीं किया गया हो, फिर भी एक ऐसा कार्य है जो कानूनी परिणामों में सक्षम है। इस पर अयोग्यता का कोई ब्रांड नहीं है।

माथे। जब तक कि अयोग्यता के कारण को स्थापित करने और इसे रद्द करने के लिए कानून में आवश्यक कार्यवाही नहीं की जाती है या

अन्यथा परेशान, यह अपने प्रत्यक्ष के लिए उतना ही प्रभावी रहेगा

आदेशों में सबसे त्रुटिहीन के रूप में उद्देश्य।

9. इस सिद्धांत से सहमत प्रो. वेड कहते हैं [वेड को देखें]:

प्रशासनिक कानून, 6 वां संस्करण। , पी। 352] : " सिद्धांत समान रूप से सही होना चाहिए, भले ही अयोग्यता का 'ब्रांड' स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो; क्योंकि वहां भी अदालत का निर्णय प्राप्त करके ही कानून में आदेश का प्रभावी ढंग से विरोध किया जा सकता है। प्रो. वेड इन सिद्धांतों का सारांश देते हैंः [इबिद।]

" मामले की सच्चाई यह है कि अदालत किसी आदेश को तभी अमान्य करेगी जब सही व्यक्ति द्वारा सही कार्यवाही और परिस्थितियों में सही उपाय मांगा जाए। आदेश हो सकता है

6 (1991) 4 एस. सी. सी. 1 प्रह्लाद राट v.

काल्पनिक रूप से एक शून्यता, लेकिन अदालत वादी की स्थिति की कमी के कारण इसे रद्द करने से इनकार कर सकती है, क्योंकि वह एक विवेकाधीन उपचार का हकदार नहीं है, क्योंकि उसने अपने अधिकारों को माफ कर दिया है, या किसी अन्य कानूनी कारण से। ऐसे किसी भी मामले में 'शून्य' आदेश प्रभावी रहता है और वास्तव में वैध होता है। यह इस प्रकार है कि एक आदेश एक उद्देश्य के लिए अमान्य और दूसरे के लिए वैध हो सकता है; और यह कि यह एक व्यक्ति के खिलाफ अमान्य हो सकता है लेकिन

दूसरे के खिलाफ वैध।

10. पार्टी ने कहा कि इन सिद्धांतों से यह स्पष्ट हो जाएगा

आदेश की अयोग्यता के कारण यह घोषणा करने के लिए अदालत से संपर्क करना पड़ता है कि उसके खिलाफ आदेश निष्क्रिय है और उस पर बाध्यकारी नहीं है। उसे सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। यदि वैधानिक समय सीमा समाप्त हो जाती है तो अदालत मांगी गई घोषणा नहीं दे सकती है। ”

43. इस मामले में हटाने का आदेश 6.01.2000 पर पारित किया गया था। प्रतिवादी ने 23.02.2000 पर एक अपील दायर की थी, यह मानते हुए भी कि

अपीलार्थी द्वारा तर्क दिया गया कि अपील का निपटारा नहीं किया गया था, सीमा 23.2.2000 से छह महीने की समाप्ति पर चलने लगी, यानी लगभग 23.8.2000। मूल आवेदन को सीमा द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि विद्वान न्यायाधिकरण तक पहुँचने में 13 साल की देरी हुई थी। इस तरह की अत्यधिक देरी को माफ नहीं किया जा सकता था।

44. उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि सीमा का कानून सार्वजनिक नीति पर आधारित है। सीमा का उद्देश्य बासी पर एक शांत जगह रखना है और

45. हम सुश्री अरोड़ा की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि यह न्यायालय अपीलार्थी की दुर्दशा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करता है क्योंकि पहली एफ. आई. आर. को रद्द कर दिया गया था और दूसरी [2019] 11 एस. सी. आर. के अनुसार दोषसिद्धि के बाद।

एफ. आई. आर. अपीलार्थी को अच्छे आचरण के परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया था जिसके बाद उसके खिलाफ आगे कोई शिकायत नहीं थी।

46. यह दोहराया जाता है कि दोहराव की कीमत पर पहली एफ़. आई. आर. को अपीलार्थी और अपीलार्थी के बीच समझौते के अनुसार रद्द कर दिया गया था।

प्रत्यर्थी ने उस संदर्भ में जिसके तहत अपीलार्थी ने सहकारी समिति को अपने कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई की। एफ. आई. आर. को इस आधार पर रद्द नहीं किया गया था कि उसने किसी भी अपराध का खुलासा नहीं किया था या अन्यथा तुच्छ, परेशान करने वाला या परेशान करने वाला था। पहली एफ. आई. आर. से संबंधित कदाचार के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही के विचार में निलंबन के तहत, अपीलार्थी ने एक सार्वजनिक स्थान पर पैसे से भरे एक थैले की चोरी की, जिसके लिए उसे आई. पी. सी. की धारा 379 के तहत दोषी ठहराया गया था। यह नहीं कहा जा सकता है कि पूर्ण गरीबी ने उसे अपराध करने के लिए प्रेरित किया जैसा कि सुश्री अरोड़ा ने तर्क दिया क्योंकि अपीलार्थी को जीवन निर्वाह भत्ता मिल रहा था, जबकि निलंबन के तहत। अपीलार्थी के लिए कोई भी सहानुभूति, हमारे विचार में, पूरी तरह से गलत होगी।

47. अपील के तहत उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, अपील खारिज कर दी जाती है और अपील के तहत उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश की पुष्टि की जाती है।

या

चिका खारिज कर दी गई।

निधि जैन